दिल्ली जल बोर्ड, राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार
प्रथम अपीलिय अधिकारी (RTI) निदेशक (सतर्कता)
कमरा नं0 401 वरूणालय खण्ड द्वितीय, करोल बाग,
नई दिल्ली–110005

सं0 दि0ज0बो0एफ ए ए आर टी आई / 688 / अपील / 7230 दिनांकः 06.08.2015

श्री रमेश भाटिया,————————अपीलकर्ता
बनाम
जन सूचना अधिकारी (सतर्कता) ————प्रतिवादी

आदेश

श्री रमेश भाटिया, ने श्री आर0 के0 सिंघल, जन सूचना अधिकारी (सतर्कता) के पत्र संख्या दि0ज0वो / सतर्कता / 2573 / 9259 / 6044 दिनांक 23–06–2015 द्वारा सूचना का अधिकार के अर्न्तगत दी गई सूचना के विरूद्व अपील दायर की थी ।

श्री रमेश भाटिया, अपीलकर्ता एवं श्री आर0 के0 सिंघल, जन सूचना अधिकारी उपस्थित थे ।

अपीलकर्ता को सुना उन्होंने कहा कि उन्हें केवल प्र0 सं0 6 का जवाब दिया गया बाकी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई । अपीलकर्ता ने अपील में सर्तकता विभाग की शिकायत की है लेकिन यह नहीं बताया कि क्या सूचना चाहिए। सुनवाई के दौरान अपीलकर्ता ने जॉच रिर्पोट मांगी । फिर कहा कि जॉच रिर्पोट की कापी उन्हें सर्तकता विभाग से मिल गयी है ।
जन सूचना अधिकारी ने बताया कि केवल प्र0 सं0 6 ही सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के सतर्कता विभाग से संबंधित था जिसकी सूचना दे दी गई है ।
उपरोक्त तथ्यों एवं अपीलकर्ता को सुनने के बाद अपील को रद्ध किया जाता है एवं अपील का तदनुसार निस्तारण किया जाता है।

प्रथम अपीलीय अधिकारी

प्रतिलिपिः–

1. श्री रमेश भाटिया, 3, न्यू मार्किट, वैस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली.110008
2. श्री आर0 के0 सिंघल, जन सूचना अधिकारी (सतर्कता)
3. अधिशासी अभियन्ता (ई0 डी0 पी0) आदेश को दिल्ली जल बोर्ड की वेबसाईड पर अपलोड करें ।

प्रथम अपीलीय अधिकारी

EXECUTIVE ENGINEER (EDP)
Dy. No. 3353
Date 10/08/15

DEA to Prog. I
12-8-15